मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 64 | दिसंबर, 2019 | अंक 12 | कुल पृष्ठ 8

सभापति का पत्र :

जबकि किसान यूनियनों ने कुछ उत्पादन मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया, वे बडी तस्वीर से चूक गए, जिससे गंभीर प्रभाव पैदा हुए। नतीजतन, यूनियनों के पास दशकों से कृषि नीति की जगह है, जो कि सीआईआई, फिक्की, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम, एफएआई आदि द्वारा वित्त पोषित संगठनों के लिए हैं।

क्योंकि या तो कई किसान यूनियनों का नेतृत्व बड़ी तस्वीर से बेखबर हैं, या पंजाब की तरह अधिक संभावना है, ताकि वे किसान संगठनों के भीतर अपनी नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए, नेताओं ने किसानों के साथ सुलह करने वाले मुद्दों पर खुद को सीमित कर लिया है। आम तौर पर शेष इनपुट लागत या खेत–गेट की कीमतों और सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का विरोध करने के लिए समर्थन मांग पर केंद्रित है।

अब कृषि संकट की बहस को बदलने का समय आ गया है, जिसमें कृषि से सीधे जुड़े लोगों के अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा की जा सके, लेकिन जो किसान आजीविका के भविष्य पर एक मजबूत असर डालते हैं। शासन की बिगड़ती गुणवत्ता, ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य–बीमा, राजस्व फिसलन, पीएसयू की बिक्री, श्रम कानून, बैंक कट्स, कृषि–रोजगार पैदा करने और किसान समृद्धि की मांग जैसे मुद्दे।

कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने कृषि इनपुट उद्योग समूह के हथियारों की पैरवी करके कुख्याति प्राप्त की है। देर से, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय दाताओं ने पोषण नीति को एक खाद्य किलेबंदी में स्थानांतरित कर दिया है।

किसान एक मुसीबत में हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्थिर आर्थिक स्थिति के अलावा अन्य मापदंडों पर वोट देने की प्रवृत्ति विकसित की है।

एमएसपी पर आधारित भारत भर में ग्रामीण आजीविका का परिवर्तन संभव नहीं है, न ही किसानों के लिए मुफ्त बिजली है। संदेह के बिना, किसानों को हमेशा के लिए बनाए रखने की आवश्यकता होगी, सवाल न केवल सबसे अच्छे विकल्पों में से सबसे अच्छा खोजने के लिए है, बल्कि पूर्व–अपेक्षाओं को सही ढंग से पहचानने के लिए भी है।

प्रोटीन, फलों और सब्जियों की भारतीय प्रति व्यक्ति खपत को बढ़ाना नितांत आवश्यक है, जो तुलनात्मक विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। अन्य पूर्व आवश्यकता खेतों के विखंडन के दबाव को कम करने के लिए ऑफ–फार्म नौकरियों का निर्माण करना है।

–. अजय वीर जाखड़

अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

@ajayvirjakhar

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

आर्थिक सर्वेक्षण – प्रगति में रूकावटें और बाधाएं

भारत का नवीनतम आर्थिक सर्वे पहली नजर में एक उपयुक्त दस्तावेज दिखाई देता है। इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण सुझाव और स्थिति का बखान किया गया है और यह समझने में भी सरल है। जैसे की कुझ बिंदुओं को अथवा कुछ क्षेत्रों को मिलाने से अच्छे परिणाम प्राप्त किऐ जा सकते हैं।

यह तभी संभव है जब सरकारी नीतियों और सोच को गंभीरता से लागू किया जाऐ अथवा आबंटित बजट को गंभीरता से उपयोग करके अधिकतम लाभ उठाया जाऐ, अन्यथा सोचने और बोलने से किसी भी समस्या का हल नहीं होगा, न ही इन नीतियों का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।

सर्वप्रथम यह चिंता व्यक्त कि गई है कि कृषि और इसके संबंधित क्षेत्रों में सकल पूँजी गठन की तुलना योजित मूल्य वृद्धि के अनुसार इसमें लगातार कमी आ रही है, यह वर्ष 2011–12 में 18.2 प्रतिशत थी जो कम होकर 2015–16 में 16.4 प्रतिशत हो चुकी है।

कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सकल पूँजी गठन का कुल सकल पूँजी गठन के अनुपात के अनुसार भी कमी आ रही है, यह 2014–15 में 8.3 प्रतिशत थी जो वर्ष 2015–16 में केवल 7.8 प्रतिशत रह गई। आर्थिक सर्वेक्षण कहना है कि इसका मुख्य कारण निजी निवेश में कमी आना है। निजी निवेश के पहलुओं पर वार्तालाप अथवा विचार नहीं किया गया है।

अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ आर्थिक सर्वेक्षण ने अन्य दो पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रीत किया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खेद पूर्वक कहना पड रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण ने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों और क्षेत्रों पर विचार नहीं किया है, जो कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिऐ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन विषयों के आधार पर भारत में खाद्य सुरक्षा, गरीबी कम करने और विकास दर बनाऐ रखना सुनिश्चित हो सकता है।

एक मुख्य क्षेत्र जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, वह यह है कि किसानों द्वारा प्राप्त हरित क्रांति के महत्व को तो माना गया है किंतु भूमि के स्वास्थ्य के परिदृश्य और कृषि रसायनिक का उपयोग अच्छे ढंग से करने की नीति तैयार नहीं की गई।

अकारण किसी को बुरा भला कहना नहीं चाहिऐ क्योंकि निदेश सदा ऊपरी स्तर से दिऐ जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, फसल विविधिकरण मिशन की सीमा तय करने के लिऐ कुछ नहीं किया जा रहा।

सर्वेक्षण का विश्वास है कि कृषि में उन्न्त उत्पादकता का कारण सिंचाई, बीज, उर्वरक और सही तंतर जैसे मुख्य पहलुओं पर निर्भर होता है। किंतु रसायनिक उर्वरक अथवा अन्य जोखिम भरे बीजों के दुरूपयोग को रोकने के लिऐ एक शब्द भी नहीं कहा गया, जबकि ऐसा करना तब तो आवश्यक था जब 60 के दशक के दौरान भारत को किसी भी कीमत पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक था, किंतु अभी भी यह प्रक्रिया जारी है।

भारतीय कृषि को सबसे ज्यादा क्षति जल के अत्यधिक उपयोग के कारण एवम कृषि रसायनिक तत्वों के उपयोग से फसल प्रणालि को हानि पहुंच रही है तथा किसानों को कृषि एक्सटैंशन वर्कर से कोई सलाह न मिलने, भूमि की उर्वरता की जांच करने अथवा उन्हें सामान्य ज्ञान न देने, रसायनिक तत्वों की बिक्री और इसके उपयोग तथा भंडारण के खतरों से अंजान किसान अभी भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय कृषि पर इस संबंध में किसी प्रकार की भी टिप्पणी करने से भयानक परिणाम ही सामने आऐंगे।

फसल विविधिकरण एक अन्य अत्यधि महत्वपूर्ण विषय है और आर्थिक सर्वेक्षण में पाया गया है कि कृषि वृद्धि की गतिशीलता में फसलों का भाग कम है और अन्य कृषि उप क्षेत्रों का योगदान बढ रहा है। उत्पादन, मौसम, मूल्य और नीतियों से संबंधित जोखिम को कम करने के लिऐ यह महत्वपूर्ण होगा कि आय अर्जन के कार्यों में विविधता लाकर कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिऐ सरकार कम से कम इतनी पूँजी दे की किसानों के जोखित को कम किया जा सके और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर भी बढती रहे।

वास्तव में फसल विविधिकरण के कार्य उन क्षेत्रों में तो लाभकारी हैं जहां यह योजना सफल सिद्ध हुई, किंतु अधिकतम किसानों को राज्यों से किसी प्रकार की आधारभूत सुविधा अथवा प्रोत्साहन न मिलने के कारण हानि उठानी पडी जिन्होंने फसल विविधिकरण को अपनाया किंतु वे अत्यधिक ऋण लेने की चपेट में आ गऐ। कुछ किसान जिन्होंने अंगूर का उत्पादन आरंभ किया उन्हें तो लाभ और सफलता मिली, किंतु सरकार द्वारा ज्यादातर किसानों को सहायता ने देने के कारण वे इस पद्धति से हानि उठाने पर मजबूर हो गऐ। जब तक सरकार इसके लिऐ कदम नहीं उठाऐगी, तो अव्यवस्थित विविधिकरण और साधारण उत्पादन वृद्धि होने के कारण किसान अव्यवस्था और दुविधा के शिकार होंगे। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि खाद्य प्रसंसाधन क्षेत्र के बजट को रू. 700 करोड से रू. 1,400 करोड अर्थात दोगुना करने का कैसे उपयोग किया जाऐगा और विशेष कृषि प्रसंसाधन वित्तीय संस्थाऐं इसका लाभ संबंधित किसानों / उत्पादकों को देने में किस प्रकार कारगर कदम उठाऐंगी।

आलू उत्पादक आज एक ऐसी ही अनिश्चित्ता का सामना कर रहे हैं, क्योंकि न तो कोई साधारण व्यक्ति न ही कोई माल खरीदने वाला व्यक्ति अथवा आलू आधारित कृषि उद्योग किसानों से आलू की खरीद कर रहा है। इसी कारण से किसान आलू को फैंक रहे हैं। जो किसान विविधिकरण फसल को समर्थन देने के लिऐ आगे आऐ थे, उन्हें भी केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार से कोई बुनियादी सहयोग अथवा सहायता नहीं मिली है। यहां तक कि बागवानी क्षेत्र भी इन स्थितियों का शिकार है।

इसका कारण इस वर्ष केवल पंजाब में ही किसानों ने लगभग रू. 250 करोड़ के आलू फेंके हैं। ऐसा ही पश्चिम–बंगाल, उत्तर–प्रदेश, मध्य–प्रदेश और कई अन्य राज्यों में आलू फेंके गऐ हैं और यह कोई इतनी छोटी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान केवल रू. 500 करोड़ का आबंटन करने से हो जाऐगा।

इसमें किसी को संशय नहीं कि उस देश में फसल विविधिकरण बहुत महत्वपूर्ण है जिसका कुल फसल भूमि क्षेत्र 179.8 मिलियन हेक्टेयर है (कुल विश्व की फसल योग्य भूमि के क्षेत्र का 9.6 प्रतिशत), और यह संयुक्त राज्य के भूगर्भीय सर्वेक्षण 2017 की रिपोर्ट है। हमारे देश में कई प्रकार की कृषि जलवायु परिस्थितियां विद्यमान हैं, इस कारण व्यवसायिक नीति निर्माताओं को किसानों के जोखिम निवारण का उपाय करना चाहिऐ। इतनी व्यापक परिस्थितियों में भी राज्य फसल विविधिकरण के लिऐ कुछ नहीं कर रहे, केवल हिमाचल–प्रदेश और झारखंड राज्य यह दिखा रहे हैं कि भारत के फसल विविधिकरण के सूचकांक में वृद्धि कर रहे हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण में भारत के और इसके कुछ मुख्य राज्यों का एक फसल विविधिकरण का सूचकांक प्रकाशित किया गया है। इसने समस्त राज्यों की फसल पद्धति की जांच करने पर कई परिवर्तन पाऐ हैं। सूचकांक का मूल्य 0 और 1 बीच है और जैसे–जैसे कीमत अधिक होगी वैसे ही विविधिकरण का क्षेत्र भी बढेगा। छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य–प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और उत्तर–प्रदेश जैसे राज्यों के फस्ल विविधिकरण के कार्यों में अत्यधिक कमी देखी गई है, किंतु ओडिशा में तेजी से कमी हो रही है। ओडिशा का सूचकांक 1994–95 में 0.740 से कम होकर वर्ष 2005–06 में 0.703 थी और 2010–11 में तो तेजी से कम होकर 0.380 हो गया और इसके बाद 2014–15 में 0.340 तक गिर गया।

कुल मिलाकर अभी तक की अवधि में भारत का फसल विविधिकरण का परिदृश्य लगभग स्थाई नजर आ रहा है। किंतु ओडिशा में कुल फसल भूमि के 80 प्रतिशत भाग पर वर्ष 2014–15 में चावल, 10 प्रतिशत भाग पर अन्य दालें और लगभग 4 प्रतिशत भूमि पर अन्य खाद्य फसलों को उगाया गया। पंजाब में कुल सिंचित भूमि के 83 प्रतिशत भाग पर गेहूँ और धान उगाई जाती है।

इस प्रकार भूमि से एक ही फसल लेने के कारण भूमि की उत्पादकता कम होती है, उर्वरक के उपयोग का कम लाभ मिलता है, भूमि की उर्वरता क्षतिग्रस्त होती है, इसके अतिरिक्त किसानों को खेती से मिलने वाले लाभ में भी कमी आ रही है। सर्वेक्षण में इस आवश्यकता पर बल दिया गया है कि फसल विविधिकरण को सफल बनाने के लिऐ भूमि की सेहत और उत्पादकता में सुधार लाया जाऐ ताकि किसानों का लाभ बढ सके।

सरकार अब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर–प्रदेश के मूल रूप से हरित कांति

लाने वाले राज्यों में फसल विविधिकरण अपनाने पर बल दे रही है, इसके लिऐ धान के स्थान पर कम पानी लेने वाली फसलों जैसे तिलहन, दालें, मोटा अनाज, कृषि वन उपज लगाने एवम् आंध्र–प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलांगना, उत्तर–प्रदेश और पश्चिम–बंगाल जैसे तंबाकू उत्पादक राज्यों के तंबाकू किसानों को अन्य वैकलपिक फसलें उगाने के लिऐ प्रोत्साहित कर रही है।

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

नाईट्रोजन कारक : भारत की कृषि भूमि का दु:स्वप्न

भारत द्वारा कृषि क्रांति का उत्सव मनाना – 1960 दशक के अंत में हरित क्रांति – अमेरिकन पी.ऐल. 480 प्रोजैक्ट ग्रांट के युग में, यह वह समय था जब भारत में अकाल पडा और लोग भूखे मर रहे थे, तब अमरीका ने भारतीय बंदरगाहों पर कई टन निशुल्क गेहूं उतारा था। किंतु अब यह एक दुखद स्थिति बन चुकी है।

अमरीका ने भारत से उस अनाज के बदले एक डॉलर भी नहीं लिया था, बल्कि वह खुश था कि उसे अनुसंधान परियोजना के लिऐ रूपऐ मिल जाऐंगे और इसका खर्च वह पारसपरिक हितों की योजनाओं पर खर्च कर देगा, यह योजना पी.ऐल. 480 के नाम से जानी जाती है। वास्तव में उन्होंने भारतीय कृषि में गुणवत्ता के सुधार के लिऐ कार्य नहीं किया जिसकी संभावना थी।

भारतीय कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति लाने के लिऐ सिंचित जल का, रसायनिक कीटनाशकों और रसायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग किया गया, ऐसा करने से भारत की पारंपरिक कृषि पद्धति को बीजों की उच्च पैदावार की किस्मों से बदल दिया गया। इसका परिणाम उस समय एक चमत्कार से कम नहीं था। यह सत्य है कि समय बितने के साथ–साथ चमत्कार भी लुप्त हो जाते हैं।

उस समय किसी ने भी खाद्य सुरक्षा इस प्रकार से प्राप्त करने में आपत्ति नहीं की, क्योंकि उस समय खाद्य सुरक्षा पुण्य थी, न की मानव जीवन और न ही प्रकृति। आज भी रसायनिक उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता की हानि पर कोई बात नहीं करता है, इसी कारण ऐन.पी.आर. (सोडियम, पौटेशियम, नाईट्रोजन) का अधिक उपयोग किया जा रहा है।

वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और जैविक विविधता पर सम्मेलन के सचिवालय ने पेरिस में एक 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया ताकि सदस्य देशों द्वारा जैव विविधता की सुविधा को बनाऐ रखने से मिलने वाले लाभ और हानियों के संबंध में जैविक विविधता पर सम्मेलन के अनुच्छेद 11 पर वार्तालाप किया जा सके। यह बताया गया कि इस सम्मेलन का अनुच्छेद 11 जो जैव विविधता के लाभ और हानियों से संबंधित है, इसके बारे में अलग–अलग देशों का अलग–अलग अनुभव है।

देश का परिदृश्य

नाईट्रोजन के प्रभाव की पहली मूल्यांकन रिपोर्ट का श्रेय प्रकृति संरक्षण की सोसाईटी के सदस्यों को जाता है, जिन्होंने 120 वैज्ञानिकों के गठबंधन की शुरूआत की, जिसमें अलग–अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे और भारतीय नाईट्रोजन समूह नामक एक विशेषज्ञ निकाय के माध्यम से इसका गहराई से अध्ययन किया जा सके। इस अध्ययन के अंतर्गत प्रमुख रूप से 'कृषि में नाईट्रोजन का स्तर और परिवहन से प्रदूषण समाप्त करना शामिल था। यह रिपोर्ट 50 समीक्षा पेपरों के 500 से अधिक पृष्ठों में लिखी गई, जिसका नाम 'भारतीय नाईट्रोजन मूल्यांकन रिपोर्ट' था, जो अपनी किस्म की पहली रिपोर्ट थी।

इससे पहले इस प्रकार की मूल्यांकन रिपोर्ट संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप संघ से आई थी। भारत में नाईट्रोजन का मुख्य साधन कृषि है और इसका उपयोग मोटे अनाज की फसलों में किया जाता है, जबकि चावल और गेहूं, दोनों मुख्य अनाज कुल सिंचित भूमि का अधिकतम भाग घेरे हुऐ हैं (क्रमशः लगभग 37 मिलियन हेक्टेयर और 26.69 मिलियन हेक्टेयर)। भारत प्रत्येक वर्ष 17 मिलियन टन नाईट्रोजन का उपयोग करता है। किंतु पौधों और फसल द्वारा केवल एक तिहाई नाईट्रोजन का उपयोग होता है, शेष 66 प्रतिशत नाईट्रोजन भूमि में रह जाता है और आस–पास के वातावरण में घूल जाता है।

इससे न केवल जल संसाधन प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि भूमि की दशा पर नाईट्रोजन का हानिकर प्रभाव पडना भी खतरनाक है। इसके उपयोग से उत्पादकता कम होती है, क्योंकि बची हुई नाईट्रोजन भूमि में कॉर्बन तत्वों की कमी कर देता है, यह कमी

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2018-20
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं० U(C)-92/2018-20
प्रकाशन की तिथि : 1 दिसंबर, 2019
नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली–1,
तारीख 4 एवं 5, दिसंबर 2019

कभी–कभी 28 प्रतिशत तक हो जाती है। इसका प्रभाव जलवायु परिवर्तन पर अलग पडता है।

प्रश्न उठता है कि किस क्षेत्र और भूमि में कितनी मात्रा में नाईट्रोजन का इस्तेमाल किया जाऐ, अथवा नाईट्रोजन के उपयोग की कितनी सीमा होनी चाहिऐ। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रौफेसर विलियम स्टीफन के अनुसार उर्वरकों के रूप में नाईट्रोजन का वर्तमान उपयोग 150 टीजी एन प्रति वर्ष है, जो कि धरती की 44 टीजी (टेराग्राम) की सीमा से 3 गुणा अधिक है।

अध्ययन में यह पाया गया है कि पश्चिम बंगाल में उर्वरक के उपयोग को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। रबीन्द्र नाथ टैगोर हृदय विज्ञान संस्थान के चिकित्सा परामर्शी डॉ. अरिन्दम बिश्वास का कहना है कि नाईट्रोजन के अत्यधिक उपयोग से मेथानगलोबाईनेमिया नामक स्थिति पैदा हो सकती है, जिसमें असमान्य हेमोग्लोबिन उत्पन्न होता है, टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचने में रूकावट आती है। इससे न्यूरल टयूब डेफिसिट (क्षतिग्रस्त मस्तिष्क और मेरूदंड को हानि) और हाईपर थॉयरेड होता है।

पश्चिम बंगाल के पूरे 24 परगनाह जिले के रंगाबेलिया में 2 ऐसी गैर सरकारी संस्थाऐं हैं जो भूमि की दशा संबंधी कार्यशालाऐं चला रही हैं और कम कीमत पर परिणाम देती हैं, यह हैं, नीमपीठ रामकृष्ण आश्रम और ग्रामीण विकास हेतु टैगोर सोसाईटी। हाल ही में संदेशखाली में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम ने अपनी सी.एस.आर. पहल के अंतर्गत एक गैर सरकारी संस्था जॉयगोपालपुर यूथ डैवल्पमेंट सैंटर के परिसर में एक भूमि की दशा के परिक्षण की कार्यशाला स्थापित करने में सहयोग दिया है। प्रत्येक किसान के लिऐ एक भूमि दशा कॉर्ड (सोईल हैल्थ कॉर्ड) एक दूर का सपना नजर आ रहा है। उस समय तक भारतीय किसानों के लिऐ नाईट्रोजन का खतरा सबसे बडा दुःस्वपन बना रहेगा।

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–24359509, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, वैबसाईटः www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।